

By :-

Dr. Shakti Kumar
Dept. of Economics
Gya Susha College, Sonapatna

भारतीय कर सिद्धान्त और समस्याएँ :-

(Principles of Indian taxation & problems)

किसी देश की उत्तम कर प्रणाली के निर्माण प्रक्रिया में मुख्यतः दो मूल समस्याएँ का सामना करना पड़ता है।

(1) ~~कर कानूनों में कठोर~~ कर कानूनों में कठोर आपन-आपन का आधार तय करना पड़ता है।

(2) कर प्रणाली की रूप रेखा को इस लक्ष्य की प्राप्ति के अनुकूल बनाया जाए पर वन प्रयोगों की शोषण के में समीक्षा कि एक मुख्य कर सिद्धांतों की गई है भारतीय कर सिद्धान्त के पाँच सिद्धांत प्रतिपादित किए गये हैं।

(1) कार्यक्षम सिद्धांत (expediency theory)

इस सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया गया है कि केवल उन्हीं करों को लागू करना उचित है जिन्हें वसूला जा सकता है अर्थात् जिनके सम्बन्ध में राजस्व की प्राप्ति हो, किसी ऐसे कर को लागू करना जिससे वसूला नहीं जा सके, एक कार्यक्षम प्रयत्न के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। इस सिद्धांत में यह मत नीलम है कि सरकार को किसी विचारणीय कर को अपनाने से पहले इसके सम्बन्ध में प्रभावों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) सामाजिक-राजनीतिक सिद्धांत (Social political theory)

इस सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मनी के एडोल्फ वॉगर (Adolf Wagner) इसकी मूल धारणा यह है कि करों का चुनाव उनके सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। जर्मनी के

की प्रथापुलर वीगनर का यह भी विचार था कि किसी समुदाय का समाधान उभरिवाही दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामुहिक, सामाजिक और रागनीतिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। क्योंकि समाज केवल उभरियों का समूह नहीं होता है, बल्कि इसका अपना एक अस्तित्व होता है।

वीगनर का यह भी भ्रम था कि निर्णय लेने और उत्पादिकाशिता का अस्तित्व केवल समाज के समूहों तथा सरकार के संरक्षण के कारण ही संभव होता है।

(3) हिन शक्ति सिद्धान्त (Benbits neevanthe pramvavak)

इस सिद्धान्त के विकास में कई विचारकों का योगदान तो रहा ही है, इन्हीं कई कठोरों में तथा विविध रूपों में लोकप्रियता पाने का प्रयत्न भी प्राप्त है। विशेषकर जर्मन, फ्रांसीसी तथा जे. एच. मिश (J.S. Mish) जैसे अन्य लेखकों में यह एक लम्बे काल तक लोकप्रिय रहा है।

यह सिद्धान्त इस माध्यमता पर आधारित है कि सरकार और समाज की इकाइयों का आपसी-संबंध मूल रूप से एक विनिमय अनुबंध (exchange contract) का है। इस अनुबंध के अनुसार सरकार समाज के सदस्यों को विभिन्न प्रत्यासंगिक एवं अन्य सेवाएं मुहैया कराती है। और उनके जीवन, धन, एवं सामग्री रक्षा करती है।

(4) सेवा लागत सिद्धान्त (Cost of Service theory)

इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार द्वारा करारीपण का मुख्य उद्देश्य अपने कर्तव्य को संतुलित रखने हुए राज्य सेवाओं की वस्तु लागत व्यय करना है। प्रसिद्ध राज्य सेवा की प्रतिक्रिया लागत को समाज के सदस्यों से उचित अनुपात में वसूली जानी चाहिए। जिस अनुपात से वे ~~वस्तु~~ उल्लेखित व्यय को कर रहे हैं। इस सिद्धान्त में करदाताओं की करदेयता की निर्धारण

प्रक्रिया में उनके हित-आदि की कोई रक्षा नहीं होती न मरक विर
आता है। समस्त निर्णय केवल उनके द्वारा विचारविम रोग की
तथुति मात्रा पर ही निर्भर करता है। इली मकर उल विद्वानों में
कर जागड़ों की करदेय आता की भी कोई सुनिता नहीं होती।

(5) हैम बिगाड सिद्धान्त (ability to pay theory)

इस सिद्धान्त के अनुसार राजा के सदस्यों में
कराधान ही आधार का आर्वण व्याय और नैतिकता के अनुसार लेना
चाहिए। और इस उद्देश्य की प्राप्ति तक होती है जब तक आर्वण
का आधार इनकी हैम क्षमता ही।

सिं प्राप्ति सिद्धान्त की और एक
सिद्धान्त की भी एक लम्बी कहानी है जिसकी सफ देना संक्षिप्त में
(Seligson) में मिलती है। इन विचारों के अनुसार समाजिक व्याय और
नैतिकता के आदर्शों का अपना में यह सिद्धान्त का ही सहायक ही
रखता है। इली मकर यह सिद्धान्त लोक कल्याण अर्थशास्त्र
(welfare economics) का भी एक अविन्य अंग है।

समस्याएं (problems)

भारतीय कर निर्धारण में निम्न समस्याएं हैं—
किसी भी प्रस्तावित कर मणाली से संबंध कुछ ऐसे तथ्य होते हैं
जिन्हें ध्यान में रखने से एक विचारविम कर सिद्धान्त की
विशेषताओं और उनके औचित्य की जागड़ में सहायता मिलती है।

समस्याएं वजह के अर्थ पक्ष की सुनिता (role of public opinion)

(1) प्रत्येक कर मणाली के भार के आर्वण पर लोक वजह के अर्थ
पक्ष का उल्लेख प्रभाव पड़ता है। उता; हर कर सिद्धान्त की
संरचना में एक विधि मान्यता रखी है। कि वजह का अर्थ
पक्ष प्रस्तावित कर मणाली के उद्देश्यों के समया ^{आवृत्त} ~~संबंध~~ है।

(2) हर एक ऐसी अनिवार्य हैयता है जिसके उद्देश में सरकार की सरकार से कुछ भी पाने का कायमी अधिकार नहीं होता

(3) अधिकतर करों द्वारा आहारित इकाईयों इनका अन्तिम आपतन दुखों पर अंतर्गत करों में संकलन हो जाती है। आत कर विहायों की वर्तमान में करों के संकल्प (आय) के साथ-साथ उल्लेख अन्तिम आपतन उद्देश पर भी विचार नहीं किया जाता है।

(4) अधिकतर कर व्यवस्था में कई प्रकार के लिये एवं परीक्ष प्रभाव डालते हैं इनमें से अधिकांश प्रकारों की प्रयासि जागरूकी-पना और इनका मापकण करना लगभग असंभव होता है। फिर भी सामान्य जागरूकी के आधार पर इन प्रकारों की संभावना पर विचार उता जातकी रहता है। हमारा योज्य बात यह है कि एक संवेद्य के लक्ष्यों की निर्णय के पद्धति अधिक संरचनात्मक होती है, वे अपनी अतीत की संरचना में इन प्रकारों पर सक्रीयता से विचार करी हैकी गई है, परिणामस्वरूप वे कई ऐसी चीजें कर जाती हैं और उन्हीं ऐसी लक्ष्यो चुनने का प्रयास करती हैं जिनसे रोजगार, चक्रीय उद्योग, मुद्रा स्फीति तथा भार्मिक विकास आदि विभिन्न समस्याओं के समाधान में समुचित सहायता मिले। उदाहरणार्थ कुछ करों का मुख्य उद्देश्य यह हो सकता है कि उनके वपत और निवेश प्रोत्साहित हो, निवेश साधन आदि उल्पादका वाले प्रयोगों में लगाये जाएं तथा क्षेत्रीय निषमताओं में कमी हो, जब इस प्रकार प्रत्येक सरकार के लक्ष्य होते हैं तो करों के आपतन आर्थिक और तथा उल्लेख संवेद्यन सिद्धांतों की मुक्ति तथा लंगनी व्याह जाती है जो नहीं होना चाहिए।

